



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहामाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385

E-mail : cfibilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/२/१८७

/बिलासपुर/दिनांक - 18.09.2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं,

नोडल अधिकारी, व.सं.अ.-1980,

रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडार 122 कि.मी. के लिए वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत।

पंजीयन कोड क्रमांक/FP/CG/RAIL/6817/2014

संदर्भ :- आपका पत्र क्र./विविध/115-442/2472 दिनांक 11.08.2017

—00—

विषयांगत लेख है, कि छ.ग. ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडार द्वारा कटघोरा एवं मरवाही वनमंडल में 459.523 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु आवेदित प्रकरण में उठायी गई कमियों की पूर्ति कर प्रतिवेदन नोडल अधिकारी कटघोरा वनमंडल द्वारा पत्र क्रमांक/तक./1716 दिनांक 13.09.2017 द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार प्रतिवेदन निम्नानुसार है:-

क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर द्वारा हस्ताक्षरित Form-A, Part-III(online) वेब पर अपलोड नहीं किया गया है	प्रकरण में ऑनलाईन वेब पर तकनीकी खराबी होने के कारण प्रकरण नु.व.सं. में ऑनलाईन दर्शित नहीं हो रहा है। अतः नोडल अधिकारी स्तर पर ऑनलाईन किया जाना उचित होगा। Form-A, Part-III की हार्डकापी संलग्न है। (संलग्नक-01)
2	Form-A, Part-I की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न नहीं है।	Form-A, Part-I की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है। (संलग्नक-02)
3	मुख्य वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित Time Line प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	प्रकरण में ऑनलाईन वेब पर तकनीकी खराबी होने के कारण प्रकरण नु.व.सं. में ऑनलाईन दर्शित नहीं हो रहा है। अतः टाईमलाईन प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। कृपया ऑनलाईन वेब पर अपलोड मुख्यालय स्तर पर करने का कष्ट करें।
4	प्रस्ताव की पेजिंग त्रुटिपूर्ण है।	प्रस्ताव की पेजिंग कर दिया गया है।
5	प्रस्ताव में भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न नहीं है।	प्रस्ताव में भाग-3 में मुख्य वन संरक्षक का निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। (संलग्नक-03)

6	भारत सरकार के निर्देश दिनांक 01.08.17 के अनुसार Cost Benefit Analysis नयी गाइडलाईन के अनुसार करते हुए पुनरीक्षित करें।	भारत सरकार के निर्देश दिनांक 01.08.17 के अनुसार Cost Benefit Analysis नयी गाइडलाईन के अनुसार पुनरीक्षित कर संशोधित Cost Benefit Analysis संलग्न है। (संलग्नक-04)
7	कलेक्टर कोरबा द्वारा का FRA प्रमाण पत्र 27.698 हे. वनभूमि एवं 354.601 हे. राजस्व वनभूमि का प्रमाण पत्र दिया गया है जबकि राजस्व वनभूमि का रकबा 382.344 हे. है। इस प्रकार 0.045 हे. कम प्रमाण पत्र जारी किया गया है।	कलेक्टर कोरबा का FRA प्रमाण पत्र राजस्व वनभूमि रकबा 382.344 हे. का संलग्न है। (संलग्नक-05)
8	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत जानकारी जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है तथा जो पोर्टल में Online प्रस्तुत किया गया है उनमें अंतर है। प्रस्ताव में वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव में संलग्न योजना एवं पोर्टल में आनलाईन में अंतर नहीं है। संशोधित योजना वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर सहित संलग्न किया गया है। (संलग्नक-06)

पृ.क्र. /तक/२१८८

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी कटघोरा वनमंडल (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. छ.ग. ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडार, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 मुख्य वन संरक्षक
 बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
 बिलासपुर, दिनांक 18.09.2017


 मुख्य वन संरक्षक
 बिलासपुर वृत्त बिलासपुर
 बिलासपुर